

## वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला योजना कार्यालय)

### अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री रामविलास पासवान, माननीय मंत्री, उपभोक्ता, मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में RO Water ATM Plant की आपूर्ति / अधिष्ठापन हेतु अनुशंसा एवं मो० ०८.०० (आठ) लाख रुपये की राशि की सहमति प्राप्त हुआ है। इस आलोक में मोहरबंद अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक प्रतिष्ठानों/ फर्मों एवं उनके प्राधिकृत विक्रेता सामानों के आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 17.08.17 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, वैशाली में जमा कर सकते हैं। प्राप्त पुर्ननिविदा को दिनांक 17.08.17 को ही अपराह्न 03:00 बजे जिला कय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। इसे जिले के वेबसाइट [www.vaishali.bih.nic.in](http://www.vaishali.bih.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

क्र०	अधिष्ठापन हेतु स्थान	क्षमता प्रति घंटा	आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6
1	हाजीपुर शहरी क्षेत्र में RO Water ATM Plant अधिष्ठापन कार्य।	500 लीटर प्रति घंटा	1 अदद्	

उक्त अधिष्ठापन में निम्न कार्य किया जाना है:-

- शेड (6' x 6')।
- R.O. प्लांट क्षमता 500 L/H कुलिंग के साथ।
- टैंक - 2 अदद् (1000/500 लीटर)
- Pre paid वाटर भेडिंग डिसपेंसिंग यूनिट- 1 अदद् (Rs. 01, 02 एवं 05 की सेटिंग के साथ)
- विद्युत कार्य।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें:-

- तकनीकी निविदा में 30,000/- (तीस हजार) रुपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम से देय एवं हाजीपुर में भुगतान हो, संलग्न रहना चाहिए।
- निविदादाता को वाणिज्यकर विभाग से निबंधित एवं GST होना अनिवार्य है।
- निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2015-16) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आपूर्ति सामग्री ISO मार्क का हो।
- निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं Non conviction सम्बन्धी प्रमाण-पत्र मूल प्रति में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा।
- निविदादाता द्वारा सभी कागजात कमांकित एवं तिथि सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- निविदादाता द्वारा प्रत्येक मद की विशिष्टी/ दर अलग-अलग अंकित की जाएगी।
- जो निविदादाता LI होंगे उनको वाणिज्यकर विभाग से कर चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निविदादाता को इस आशय का घोषणा-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें:-

- वित्तीय निविदा में उपलब्ध सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर (अधिष्ठापन व्यय सहित) सभी कर सहित देना होगा।

(ख) सामान्य शर्तें:-

- जिला योजना कार्यालय, हाजीपुर में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
- तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।



3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
4. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता के विपत्र पर नियमानुसार करों की कटौती के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
5. कायदेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अन्दर चिन्हित स्थानों पर करना होगा, जिसके लिए अलग से भाड़ा/ कुली देय नहीं होगी।
6. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को RO Water ATM Plant का कम्पनी से प्रदत्त warranty अवधि तक रख-रखाव करना होगा।
7. विवाद की स्थिति में न्यायालय, वैशाली का क्षेत्राधिकार लागू होगा एवं अधोहस्ताक्षरी का निर्णय मान्य होगा।
8. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल से प्राप्त पानी गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन उपरान्त विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
9. बिना कारण बताए निविदा की स्वीकृति/ रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

  
जिला पदाधिकारी,  
वैशाली।